



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17062021-227665
CG-DL-W-17062021-227665

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, जून 6—जून 12, 2021 शनिवार/ ज्येष्ठ 16—ज्येष्ठ 22, 1943
No. 20] NEW DELHI, JUNE 6—JUNE 12, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 16—JYAISTHA 22, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2021

का.आ. 350.—बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री के. गणेश, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के स्थान पर श्री पी. के. अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को 3 जनवरी, 2024 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय बीमांकक संस्थान की परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. एम-18013/01/2011-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 5th April, 2021

S.O. 350.—In exercise of the powers conferred by clause (b) (ii) of sub-section (2) of section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby nominates Shri P.K. Arora, whole-time member (Actuary), Insurance Regulatory and Development Authority of India as a member of the Council of the Institute of Actuaries of India *vice* Shri K. Ganesh, whole-time member (life), Insurance Regulatory and Development Authority of India, till 3rd January, 2024 or until further orders whichever is earlier.

[F. No. M-18013/01/2011-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 351.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में श्री एम.आर.कुमार (जन्मतिथि : 13.6.1961) के कार्यकाल की वर्तमान अधिसूचित अवधि जो दिनांक 30.06.2021 को समाप्त हो रही है, को दिनांक 13.03.2022 तक अर्थात् अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि पूरा करने की तिथि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो बढ़ाती है।

[फा. सं. ए-15011/02/2020-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 351.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby extends the term of office of Shri M. R. Kumar (Date of birth: 13.6.1961), as Chairman Life Insurance Corporation of India beyond his currently notified term, which expires on 30.6.2021, till 13.3.2022 i.e. the date he completes three years as the Chairman, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-15011/02/2020-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जून, 2021

का.आ. 352.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40), जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा, की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा निचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारीको दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात:—

तालिका

क्रम संख्या	संपदा अधिकारी कानाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियाँ और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा
(१)	(२)	(३)
१.	"उप महाप्रबंधक (सिविल)" टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड खुर्जा, राज्य -उत्तर प्रदेश	खुर्जा में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, के परिसरों या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए अथवा मांग किए गए परिसर।

[फा. सं. 11/1/2021-हाईडल -I]

तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 8th June, 2021

S.O. 352.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (2) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted officer in the Government of India, to be an Estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (3), of the said Table, namely:—

TABLE

Serial Number	Name of estate officer	Categories of public premises and the local limits of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	"DY. GENERAL MANAGER (CIVIL)" Tehri Hydro Development Corporation India Limited, Khurja, State- Uttar Pradesh	Premises belonging to, or taken on lease, or requisitioned, by or on behalf of, the Tehri Hydro Development Corporation India Limited at Khurja.

[F. No. 11/1/2021-HYDEL-I]

TANMAY KUMAR, Jt. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ. 353.—केन्द्र सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 4 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की सभी बैठकों में विशेष आमंत्रित अतिथि सदस्य के रूप में संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए- 60015/6/2021-ई -III]

पंकज कुमार, सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 15th April, 2021

S.O. 353.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (5) of Section 4 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government hereby appoints the Joint Secretary (Administration), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, as a special invitee Member in the Brahmaputra Board, for all its Meetings.

[F. No. A-60015/6/2021-E-III]

PANKAJ KUMAR, Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2021

का.आ. 354.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1075, तारीख 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 19 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 397.083 हेक्टर (लगभग) या 981.192 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्यप्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है, कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 397.083 हेक्टर (लगभग) या 981.192 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में वर्णित 397.083 हेक्टर (लगभग) या 981.192 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी-1 (ई) III/जीआर/0121/967, तारीख 29 जनवरी, 2021 का निरीक्षण कलक्टर, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700 001 के कार्यालय में या विभागाध्यक्ष/मुख्य प्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व विभाग, कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

विष्णुपुरी यूजी टू ओसी खान
पेंच क्षेत्र
जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी-1 (ई) III/जीआर/0121/967, तारीख 29 जनवरी, 2021)

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टर में)			कुल	टिप्पणियां
					अभिधृति	सरकारी	वन		
1.	सिरगोरा	17	परासिया	छिन्दवाड़ा	47.051	21.675	28.183	96.909	भाग
2.	छिन्दा	16	परासिया	छिन्दवाड़ा	10.719	0.00	1.331	12.050	भाग
3.	पिण्डरई	16	परासिया	छिन्दवाड़ा	14.662	18.095	11.365	44.122	भाग
4	कुकुरमुण्डा	16	परासिया	छिन्दवाड़ा	121.052	28.821	94.129	244.002	भाग
कुल :					193.484	68.591	135.008	397.083	

कुल क्षेत्रफल : 397.083 हेक्टर (लगभग)

या 981.192 एकड़ (लगभग)

(1) ग्राम छिन्दा में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

अभिधृति भूमि :

237, 240/6/2- 240/6/3- 240/6/4, 240/7/1-240/7/2, 241, 243, 244, 245, 246, 260/1- 260/2- 260/3, 261/1- 261/2.

वन भूमि : 242.

(2) ग्राम सिरगोरा में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

अभिधृति भूमि :

9/1- 9/2, 10, 11, 12/1- 12/2, 13, 14, 15, 17/1- 17/2, 18/1- 18/2, 19, 20, 21, 23/1- 23/2- 23/3- 23/4, 25/1- 25/2, 26/1- 26/2, 27/1- 27/2, 28/1- 28/2, 29, 30, 31, 33/1, 35/1- 35/2, 36, 39, 185/3, 188/1- 188/2/1- 188/2/2- 188/2/3, 189/1- 189/2, 191, 192, 193/1- 193/2, 195, 201/1- 201/2- 201/3/1/1- 201/3/1/2- 201/3/2, 202, 204, 206/1/1- 206/1/2- 206/2- 206/3, 207/1- 207/2- 207/3- 207/4, 239/1.

सरकारी भूमि:- 22, 24, 34, 190, 194, 196/2, 203/1- 203/2, 205/1/1 (भाग)- 205/1/2- 205/2, 240.

वन भूमि :- 2 (भाग), 16/1- 16/2.

(3) ग्राम पिण्डरई में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

अभिधृति भूमि :

4, 5/1- 5/2, 6/1/1- 6/1/2- 6/2- 6/3- 6/4, 7, 8/1- 8/2, 9/1- 9/2, 10/1/1- 10/1/2- 10/2, 11, 12/1- 12/2, 171, 176, 177, 178/1/1- 178/1/2- 178/2.

सरकारी भूमि :- 175, 179 (भाग).

वन भूमि :- 13 (भाग), 170.

(4) ग्राम कुरमुण्डा में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

अभिधृति भूमि :

1/1- 1/2, 2, 4, 6/1- 6/2/1- 6/2/2, 7/1/1- 7/1/2- 7/2- 7/3- 7/4- 7/5- 7/6, 8/1 (भाग)- 8/4/1- 8/4/2- 8/5, 9/1- 9/2, 10, 11, 12 (भाग), 13/3, 14, 15/1/1/1- 15/1/1/2- 15/1/2- 15/2- 15/3- 15/4- 15/5, 16/1- 16/2- 16/3- 16/4- 16/5, 17/1/1- 17/1/2- 17/2, 18/1- 18/2, 20/1/1- 20/1/2- 20/2, 21/1/1- 21/1/2- 21/2, 22, 23, 25/1/1- 25/1/2- 25/1/3- 25/2- 25/3/1- 25/3/2- 25/4- 25/5- 25/6- 25/7, 26/1- 26/2, 27, 28/1- 28/2, 29, 30/1- 30/2, 31/1- 31/2, 32/1- 32/2, 33/1- 33/2, 34, 35/1- 35/2- 35/3, 36, 37, 39/1- 39/2- 39/3/1- 39/3/2- 39/3/3- 39/3/4- 39/4/1- 39/4/2, 40/1- 40/2, 41/1- 41/2, 43/1- 43/2, 44, 45/1- 45/2- 45/3, 46/1- 46/2, 47, 48, 50, 51/1- 51/2- 51/3, 52, 53/1- 53/2- 53/3- 53/4- 53/5/1- 53/5/2- 53/6- 53/7, 54/1- 54/2- 54/3- 54/4- 54/5/1- 54/5/2- 54/6- 54/7/1- 54/7/2, 55/1- 55/2- 55/3- 55/4- 55/5- 55/6- 55/7- 55/8- 55/9- 55/10- 55/11- 55/12- 55/13- 55/14- 55/15, 57, 58/1- 58/2- 58/3- 58/4, 59, 60/1- 60/2, 61/1/1- 61/1/2- 61/1/3- 61/2- 61/3/1- 61/3/2- 61/4- 61/5- 61/6, 62/1- 62/2- 62/3, 63/1- 63/2- 63/3, 64, 65/1- 65/2- 65/3- 65/4- 65/5- 65/6, 66, 67/1- 67/2/1- 67/2/2- 67/3, 72/1- 72/2- 72/5, 73/1/1- 73/1/2- 73/2- 73/3, 76/4, 77, 78, 79/1- 79/2- 79/3- 79/4, 80, 81, 82, 83, 84, 85/3- 85/4 (भाग), 87, 88, 89/1/1- 89/1/2- 89/1/3- 89/1/4- 89/2/1- 89/2/2- 89/2/3- 89/2/4- 89/2/5- 89/2/6- 89/3/1- 89/3/2- 89/3/3- 89/3/4- 89/3/5, 90, 91, 92, 94, 95, 96/1- 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102/1- 102/2, 103, 104/1/1- 104/1/2- 104/2- 104/3, 105, 107/1- 107/2, 108/1- 108/2, 109, 110/1- 110/2- 110/3, 112, 113, 114, 115/1- 115/2, 116, 117/1- 117/2- 117/3- 117/4/1- 117/4/2- 117/5, 118/1/1- 118/1/2- 118/2- 118/3/1- 118/3/2- 118/4, 119, 120/1/1- 120/1/2- 120/2- 120/3, 122, 123, 125, 126, 127/1- 127/2- 127/3- 127/4- 127/5/1- 127/5/2- 127/5/3- 127/5/4- 127/6- 127/7- 127/8, 128/1/1-

128/1/2- 128/2-128/3, 129, 130/1/1- 130/1/2- 130/2/1- 130/2/2- 130/2/3- 130/2/4, 131, 133, 134/1-134/2, 135/1- 135/2/1- 135/2/2- 135/3- 135/4.

सरकारी भूमि :- 5 (भाग), 38, 42/1, 56, 93, 111, 136.

वन भूमि :- 3/1- 3/2, 19, 24/1 (भाग)- 24/2, 42/2, 49/1- 49/2, 85/1 (भाग), 86, 106, 121, 124, 132.

सीमा वर्णन :

- क – ख : रेखा ग्राम पिण्डरई में बिन्दु 'क' से आरंभ से होकर उत्तर दिशा में प्लाट संख्यांक 5/1, 4 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर ग्राम कुरमुण्डा में प्लाट संख्यांक 76/4, 85/1, 72/5, 72/1- 72/2, 67/3 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख – ग : रेखा बिन्दु 'ख' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा में प्लाट संख्यांक 67/3, 66 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है फिर ग्राम छिन्दा में प्लाट संख्यांक 237, 240/6/2, 240/6/4, 261/2 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग – घ : रेखा बिन्दु 'ग' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा में ग्राम छिन्दा में प्लाट संख्यांक 261/1-260/1, 243, 244, 245, 246 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है, फिर ग्राम छिन्दा एवं ग्राम कुरमुण्डा की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ – ड. : रेखा बिन्दु 'घ' से आरंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में ग्राम कुरमुण्डा और ग्राम छिन्दा की सम्मिलित ग्राम सीमा से लगकर गुजरती है फिर ग्राम कुरमुण्डा में प्लाट संख्यांक 24/1, 8/4/1- 8/4/2- 8/5, 12, 13/3, 24/2 की बाह्य सीमा के से लगकर गुजरती है, फिर ग्राम कुरमुण्डा एवं ग्राम सिरगोरा की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु 'ड.' पर मिलती है।
- ड. – च : रेखा बिन्दु 'ड.' से आरंभ होती है और ग्राम सिरगोरा में पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 2, 10 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च – छ : रेखा बिन्दु 'च' से आरंभ होती है और प्लाट संख्यांक 10, 19, 20, 39, 33/1, 36, 34 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
- छ – ज : रेखा बिन्दु 'छ' से आरंभ होती है और प्लाट संख्या 33/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम सिरगोरा में बिन्दु 'ज' पर मिलती है।
- ज – झ : रेखा बिन्दु 'ज' से आरंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्लाट संख्यांक 185/3, 189/2, 188/2/3 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम सिरगोरा में स्थित बिन्दु 'झ' पर मिलती है।
- झ – ञ : रेखा बिन्दु 'झ' से आरंभ होती है और प्लाट संख्या 196/2 से होकर गुजरती है और प्लाट संख्यांक 201/1, 205/1/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।

- ज - ट : रेखा बिन्दु 'ज' से आरंभ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्लाट संख्यांक 205/1/1, 207/4, 239/1 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ट' पर मिलती है।
- ट - ठ : रेखा बिन्दु 'ट' से आरंभ होकर ग्राम सिरगोरा में प्लाट संख्या 240 में से होकर ग्राम पिण्डरई में प्लाट संख्या 175 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।
- ठ - ड : रेखा बिन्दु 'ठ' से आरंभ होकर उत्तर दिशा में प्लाट संख्या 175 की पश्चिम सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम पिण्डरई और ग्राम कुरमुण्डा की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिन्दु 'ड' पर मिलती है।
- ड - ढ : रेखा बिन्दु 'ड' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में ग्राम पिण्डरई और ग्राम कुरमुण्डा की सम्मिलित ग्राम सीमा से लगकर गुजरती है, फिर प्लाट संख्या 38 को पार करती है और बिन्दु 'ढ' पर मिलती है।
- ढ - ण : रेखा बिन्दु 'ढ' से आरंभ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में ग्राम पिण्डरई में प्लाट संख्यांक 170, 13 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ण' पर मिलती है।
- ण - क : रेखा बिन्दु 'ण' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में प्लाट संख्या 13 में से लगकर गुजरती है और प्रारंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/16/2019- एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 4th June, 2021

S.O. 354.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 1075, dated the 18th December, 2020 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, part II, section 3, sub-section (ii) dated the 19th December, 2020, the Central Government gave notice of its intention to acquire all rights in or over the lands measuring 397.083 hectares (approximately) or 981.192 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting to the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the lands measuring 397.083 hectares (approximately) or 981.192 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that all rights in or over the such land measuring 397.083 hectares (approximately) or 981.192 acres (approximately)) as described in the Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number C-I(E)III/GR/0121/967, dated the 29th January, 2021 of the area covered by this notification, may be inspected in the office of the Collector, District Chhindwara (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 or in the office of the Head of Department/Chief Manager, Western Coalfields Limited, Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001, Maharashtra.

SCHEDULE

Vishnupuri UG to OC Mine
Pench Area
District Chhindwara (Madhya Pradesh)

[Plan bearing number C-I(E)III/GR/0121/967, dated the 29th January, 2021]

All Rights:

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Area (in hectares)			Total	Remarks
					Tenancy	Govt.	Forest		
1.	Sirgora	17	Parasia	Chhindwara	47.051	21.675	28.183	96.909	Part
2.	Chhinda	16	Parasia	Chhindwara	10.719	0.00	1.331	12.050	Part
3.	Pindrai	16	Parasia	Chhindwara	14.662	18.095	11.365	44.122	Part
4.	Kukur-munda	16	Parasia	Chhindwara	121.052	28.821	94.129	244.002	Part
Total :					193.484	68.591	135.008	397.083	

Total area : 397.083 hectares (approximately)
or 981.192 acres (approximately)

(1) Plot numbers to be acquired in village Chhinda :**Tenancy Land :**

237, 240/6/2- 240/6/3- 240/6/4- 240/7/1- 240/7/2, 241, 243, 244, 245, 246, 260/1-260/2-260/3, 261/1- 261/2.

Forest Land : 242.

(2) Plot numbers to be acquired in village Sirgora :**Tenancy Land :**

9/1- 9/2, 10, 11, 12/1-12/2, 13, 14, 15, 17/1-17/2, 18/1- 18/2, 19, 20, 21, 23/1- 23/2- 23/3- 23/4, 25/1- 25/2, 26/1- 26/2, 27/1- 27/2, 28/1- 28/2, 29, 30, 31, 33/1, 35/1- 35/2, 36, 39, 185/3, 188/1- 188/2/1- 188/2/2- 188/2/3, 189/1- 189/2, 191, 192, 193/1- 193/2, 195, 201/1- 201/2- 201/3/1/1- 201/3/1/2- 201/3/2, 202, 204, 206/1/1- 206/1/2- 206/2- 206/3, 207/1- 207/2- 207/3- 207/4, 239/1.

Government Land : 22, 24, 34, 190, 194, 196/2, 203/1- 203/2, 205/1/1 (Part)- 205/1/2, 205/2, 240.

Forest Land:- 2 (Part), 16/1- 16/2.

(3) Plot numbers to be acquired in village Pindrai:**Tenancy Land :**

4, 5/1- 5/2, 6/1/1- 6/1/2- 6/2- 6/3- 6/4, 7, 8/1- 8/2, 9/1- 9/2, 10/1/1- 10/1/2- 10/2, 11, 12/1- 12/2, 171, 176, 177, 178/1/1- 178/1/2- 178/2.

Government Land : 175, 179 (Part).

Forest Land :- 13 (Part), 170.

(4) Plot numbers to be acquired in village Kukurmunda :**Tenancy Land :**

1/1- 1/2, 2, 4, 6/1- 6/2/1- 6/2/2, 7/1/1- 7/1/2- 7/2- 7/3- 7/4- 7/5- 7/6, 8/1 (Part)- 8/4/1- 8/4/2- 8/5, 9/1- 9/2, 10, 11, 12 (Part), 13/3, 14, 15/1/1/1- 15/1/1/2- 15/1/2- 15/2- 15/3- 15/4- 15/5, 16/1- 16/2- 16/3- 16/4- 16/5, 17/1/1- 17/1/2- 17/2, 18/1- 18/2, 20/1/1- 20/1/2- 20/2, 21/1/1- 21/1/2- 21/2, 22, 23, 25/1/1- 25/1/2- 25/1/3- 25/2- 25/3/1- 25/3/2- 25/4- 25/5- 25/6- 25/7, 26/1- 26/2, 27, 28/1- 28/2, 29, 30/1- 30/2, 31/1- 31/2, 32/1- 32/2, 33/1- 33/2, 34, 35/1- 35/2- 35/3, 36, 37, 39/1- 39/2- 39/3/1-39/3/2- 39/3/3- 39/3/4- 39/4/1- 39/4/2, 40/1- 40/2, 41/1- 41/2, 43/1- 43/2, 44, 45/1- 45/2- 45/3, 46/1- 46/2, 47, 48, 50, 51/1- 51/2- 51/3, 52, 53/1- 53/2- 53/3- 53/4- 53/5/1-53/5/2- 53/6- 53/7, 54/1- 54/2- 54/3- 54/4- 54/5/1- 54/5/2, 54/6- 54/7/1-54/7/2, 55/1- 55/2- 55/3- 55/4- 55/5- 55/6- 55/7- 55/8- 55/9- 55/10- 55/11- 55/12- 55/13- 55/14- 55/15, 57, 58/1- 58/2- 58/3- 58/4, 59, 60/1- 60/2, 61/1/1- 61/1/2- 61/1/3- 61/2- 61/3/1- 61/3/2- 61/4- 61/5- 61/6, 62/1- 62/2- 62/3, 63/1- 63/2- 63/3, 64, 65/1- 65/2- 65/3- 65/4- 65/5- 65/6, 66, 67/1- 67/2/1- 67/2/2- 67/3, 72/1- 72/2- 72/5, 73/1/1-73/1/2- 73/2- 73/3, 76/4, 77, 78, 79/1- 79/2- 79/3- 79/4, 80, 81, 82, 83, 84, 85/3- 85/4 (Part), 87, 88, 89/1/1- 89/1/2- 89/1/3- 89/1/4- 89/2/1- 89/2/2- 89/2/3- 89/2/4- 89/2/5- 89/2/6- 89/3/1- 89/3/2- 89/3/3- 89/3/4- 89/3/5, 90, 91, 92, 94, 95, 96/1- 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102/1- 102/2, 103, 104/1/1- 104/1/2- 104/2- 104/3, 105, 107/1- 107/2, 108/1- 108/2, 109, 110/1- 110/2- 110/3, 112, 113, 114, 115/1- 115/2, 116, 117/1- 117/2- 117/3- 117/4/1-117/4/2- 117/5, 118/1/1- 118/1/2- 118/2- 118/3/1- 118/3/2- 118/4, 119, 120/1/1- 120/1/2- 120/2- 120/3, 122, 123, 125, 126, 127/1- 127/2- 127/3- 127/4- 127/5/1- 127/5/2- 127/5/3- 127/5/4- 127/6- 127/7- 127/8, 128/1/1- 128/1/2- 128/2- 128/3, 129, 130/1/1- 130/1/2- 130/2/1- 130/2/2- 130/2/3- 130/2/4, 131, 133, 134/1- 134/2, 135/1- 135/2/1- 135/2/2- 135/3- 135/4.

Government Land : 5 (Part), 38, 42/1, 56, 93, 111, 136.

Forest Land : 3/1- 3/2, 19, 24/1 (Part) - 24/2, 42/2, 49/1- 49/2, 85/1 (Part), 86, 106, 121, 124, 132.

Boundary description:

- A – B : Line starts from point 'A' in village Pindrai, passes in north direction along the outer boundary of plot numbers 5/1, 4, then passes in village Kukurmunda along the outer boundary of plot numbers 76/4, 85/1, 72/5, 72/1-72/2, 67/3 and meets at point 'B'.
- B – C : Line starts from point 'B', passes in north direction along the outer boundary of plot numbers 67/3, 66 then passes in village Chhinda along the outer boundary of plot numbers 237, 240/6/2, 240/6/4, 261/2 and meets at point 'C' in village Chhinda.
- C – D : Line starts from point 'C', passes in east direction in village Chhinda along the outer boundary of plot numbers 261/1- 260/1, 243, 244, 245, 246 and meets at point 'D' on common village boundary of villages Chhinda and Kukurmunda.
- D – E : Line starts from point 'D', passes in north-east direction along the common village boundary of villages Kukurmunda and Chhinda, then passes in village Kukurmunda along the outer boundary of plot numbers 24/1, 8/4/1- 8/4/2- 8/5, 12, 13/3, 24/2, meets at point 'E' on common village boundary of villages Kukurmunda and Sirgora.
- E – F : Line starts from point 'E', passes in east direction in village Sirgora along the outer boundary of plot numbers 2, 10 and meets at point 'F'.
- F – G : Line starts from point 'F', passes along the outer boundary of plot numbers 10, 19, 20, 39, 33/1, 36, 34 and meets at point 'G'.
- G – H : Line starts from point 'G', passes along the outer boundary of plot number 33/1 and meets at point 'H' in village Sirgora.
- H – I : Line starts from point 'H', passes in south-west direction along the outer boundary of plot numbers 185/3, 189/2, 188/2/3 and meets at point 'I' in village Sirgora.
- I – J : Line starts from point 'I', passes through plot number 196/2, passes along the outer boundary of plot numbers 201/1, 205/1/1 and meets at point 'J' in village Sirgora.
- J-K : Line starts from point 'J', passes in south-west direction along the outer boundary of plot numbers 205/1/1, 207/4, 239/1 and meets at point 'K'.
- K – L : Line starts from point 'K', passes through plot number 240 in village Sirgora, passes in village Pindrai along the outer boundary of plot number 175 and meets at Point 'L'.

- L-M Line starts from point 'L', passes in north direction along the west boundary of plot number 175 and meets at point 'M' on common boundary of villages Pindrai and Kukurmunda.
- M- N Line starts from point 'M', passes in west direction along the common boundary of village Pindrai and Kukurmunda crosses plot number 38 and meets at point 'N'.
- N-O Line starts from point 'N' passes in south-west direction in village Pindrai along the outer boundary of plot numbers 170, 13 and meets at Point 'O'.
- O-A Line starts from point 'O', passes in west direction through plot number 13 and ends at starting point 'A'.

[F. No. 43015/16/2019- LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 जून, 2021

का.आ. 355.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 847, तारीख 25 सितम्बर, 2020 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II), तारीख 26 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 654.618 हेक्टर (लगभग) या 1617.56 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है, कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 654.618 हेक्टर (लगभग) या 1617.56 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में वर्णित 654.618 हेक्टर (लगभग) या 1617.56 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी- I (ई)/ III/एफएफआर/0221/ 968, तारीख 13 फरवरी, 2021 का निरीक्षण कलक्टर, जिला बैतूल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या विभागाध्यक्ष/मुख्य प्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल एस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची
गांधीग्राम भूमिगत खान
पाथाखेड़ा क्षेत्र
जिला बैतूल (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी- I (ई)/ III/एफएफआर/0221/968, तारीख 13 फरवरी, 2021)

खनन अधिकार :

भाग - I									
क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल/ कम्पार्टमेंट संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टर में)				टिप्पणियां
					अभिधृति	सरकारी	वन	कुल	
1	गांधीग्राम	5	घोडाडोंगरी	बैतूल	53.253	3.517	204.348	261.118	भाग
2	आरक्षित वन	324, 325, 330	घोडाडोंगरी	बैतूल	0.00	0.00	367.946	367.946	भाग
कुल:					53.253	3.517	572.294	629.064	
भाग -I (खनन अधिकार) – 629.064 हेक्टर (लगभग) या 1554.42 एकड़ (लगभग)									
भाग - II									
सभी अधिकार :									
क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल/ कम्पार्टमेंट संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टर में)				टिप्पणियां
					अभिधृति	सरकारी	वन	कुल	
1	गांधीग्राम	5	घोडाडोंगरी	बैतूल	9.733	0.138	7.857	17.728	भाग
2	भोगईखापा	6	घोडाडोंगरी	बैतूल	5.607	0.144	0.00	5.751	भाग
3	आरक्षित वन	328	घोडाडोंगरी	बैतूल	0.00	0.00	2.075	2.075	भाग
कुल:					15.34	0.282	9.932	25.554	
भाग - II (सभी अधिकार) – 25.554 हेक्टर (लगभग) या 63.14 एकड़ (लगभग)									

कुल जोड़ : (भाग-I + भाग II) : 629.064 हेक्टर (लगभग) + 25.554 हेक्टर = 654.618 हेक्टर (लगभग)

या 1554.42 एकड़ + 63.14 एकड़ = 1617.56 एकड़ (लगभग)

भाग - I

(1) ग्राम गांधीग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145 (भाग).

सरकारी भूमि :

31, 41, 43, 52, 57, 61, 62, 68, 72, 78, 84, 94, 134.

वन भूमि :

3 (भाग), 24 (भाग), 26, 29, 42, 74, 75, 89, 91, 92, 97, 103 (भाग), 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 139, 146 (भाग).

(2) आरक्षित वन भूमि :

कम्पार्टमेंट संख्या 324 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 325 (भाग), कम्पार्टमेंट संख्या 330 (भाग).

भाग - II

(1) ग्राम गांधीग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

7 (भाग) , 9 (भाग), 17 (भाग), 19 (भाग), 148 (भाग), 149, 150, 152, 155, 156.

सरकारी भूमि :

154 (भाग).

वन भूमि :

6 (भाग), 8 (भाग), 10 (भाग), 18 (भाग), 20 (भाग), 103 (भाग), 147 (भाग), 151 (भाग), 153 (भाग), 157, 158.

(2) ग्राम भोगईखापा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

213 (भाग), 214 (भाग), 215/2 (भाग), 216 (भाग), 218 (भाग), 219 (भाग), 220/2 (भाग), 221/2 (भाग), 223/1- 223/2 (भाग), 244 (भाग), 248 (भाग).

सरकारी भूमि :

217 (भाग), 222 (भाग), 241 (भाग), 247 (भाग).

(3) आरक्षित वन भूमि :

कम्पार्टमेंट संख्या 328 (भाग).

सीमा वर्णन :**(भाग - I)**

- क-ख-ग-घ-ङ.-च: रेखा ग्राम गांधीग्राम की ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में ग्राम शक्तीगढ़ और ग्राम गांधीग्राम की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु 'ख'-ग'-घ'-ङ'-च' से गुजरती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च-छ-ज-झ-ञ : रेखा बिन्दु 'च' से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 324 की बाह्य सीमा से होती हुई उत्तर-पूर्व दिशा से गुजरती है, फिर उत्तर दिशा में बिन्दु 'छ'-ज'-झ' से गुजरती है और कम्पार्टमेंट संख्या 324 में स्थित बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।
- ञ-ट-ठ : रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 324 में स्थित बिन्दु 'ञ' से आरंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में बिन्दु 'ट' से होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा से गुजरती है और बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।
- ठ-ड-ढ : रेखा बिन्दु 'ठ' से आरंभ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा में बिन्दु 'ड' से गुजरती है और कम्पार्टमेंट संख्या 325 में स्थित बिन्दु 'ढ' पर मिलती है।
- ढ-ण-त : रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 325 में बिन्दु 'ढ' से आरंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिन्दु 'ण' से गुजरती है और कम्पार्टमेंट संख्या 330 में स्थित बिन्दु 'त' पर मिलती है।
- त-थ-द : रेखा बिन्दु 'त' से आरंभ होती है और दक्षिण-पूर्व दिशा में बिन्दु 'थ' से गुजरती है और कम्पार्टमेंट संख्या 325 में स्थित बिन्दु 'द' पर मिलती है।
- द-ध-न-प : रेखा बिन्दु 'द' से आरंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिन्दु 'ध'-न' से होकर उत्तर दिशा में मुड़ती हुई गुजरती है और बिन्दु 'प' पर मिलती है।
- प-फ-ब-भ : रेखा बिन्दु 'प' से आरंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिन्दु 'फ' – 'ब' से गुजरती है और ग्राम गांधीग्राम और कम्पार्टमेंट संख्या 330 की सीमा पर स्थित बिन्दु 'भ' पर मिलती है।
- भ-म-य-क : रेखा बिन्दु 'भ' से आरंभ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिन्दु 'म' से गुजरती है फिर पश्चिम दिशा में ग्राम गांधीग्राम में स्थित बिन्दु 'म' – 'य' से गुजरती है और ग्राम गांधीग्राम की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क' पर समाप्त होती है।

सीमा वर्णन :**(भाग - II)**

- क1-ख1-ग1 : रेखा ग्राम गांधीग्राम में बिन्दु 'क1' से आरंभ होती है और गांधीग्राम भूमिगत खान से लगकर उत्तर-पूर्व दिशा में बिन्दु 'ख1' से गुजरती है और बिन्दु 'ग1' पर मिलती है।
- ग1-घ1-ङ.1 : रेखा बिन्दु 'ग1' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा में बिन्दु 'घ1' से गुजरती है फिर दक्षिण दिशा में गुजरती है और बिन्दु 'ङ.1' पर मिलती है।
- ङ.1-च1-छ1 : रेखा बिन्दु 'ङ.1' से आरंभ होती है फिर पश्चिम दिशा से गुजरती है फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में मुड़ती हुई बिन्दु 'च1' से होती हुई दक्षिण दिशा में गुजरती है और बिन्दु 'छ1' पर मिलती है।
- छ1-ज1-झ1-ञ1 : रेखा बिन्दु 'छ1' से आरंभ होती है फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिन्दु 'ज1' से होकर प्लाट संख्यांक 155, 156, 157 की दक्षिण दिशा से गुजरती है फिर बिन्दु 'झ1' से होकर उत्तर दिशा

- में प्लाट संख्यांक 157, 158 की पश्चिम सीमा से लगकर गुजरती है फिर प्लाट संख्या 149 से होती हुई बिन्दु 'अ1' पर मिलती है।
- अ1-ट1 : रेखा बिन्दु 'अ1' से आरंभ होती है फिर पश्चिम दिशा में प्लाट संख्यांक 148, 147, 17, 18, 19, 10, 9, 8, 7 से गुजरती है और ग्राम गांधीग्राम और ग्राम भोगईखापा की सम्मिलित सीमा पर प्लाट संख्या 6 के निकट बिन्दु 'ट1' पर मिलती है।
- ट1-ठ1-ड1 : रेखा बिन्दु 'ट1' से आरंभ होती है फिर ग्राम भोगईखापा में दक्षिण दिशा में प्लाट संख्यांक 223/1, 221/2, 220/2, 219, 218, 215/2, 214, 244, 248 से गुजरती है फिर बिन्दु 'ठ1' से होकर ग्राम भोगईखापा की सीमा को पार करते हुए कम्पार्टमेंट संख्या 328 में स्थित तवा पुलिया के पास स्थित बिन्दु 'ड1' पर मिलती है।
- ड1-ढ1-ण1 : रेखा बिन्दु 'ड1' से आरंभ होती है फिर तवा पुलिया को पार करती हुई बिन्दु 'ढ1' से मिलती है फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा से गुजरती हुई बिन्दु 'ण1' पर मिलती है।
- ण1-त1-थ1 : रेखा बिन्दु 'ण1' से आरंभ होती है फिर उत्तर-पूर्व दिशा से गुजरती है फिर तवा पुलिया पार कर बिन्दु 'त1' से गुजरती है और ग्राम भोगईखापा में प्लाट संख्यांक 248, 247, 244, 213, 214, 215/2, 216 में से गुजरती हुई बिन्दु 'थ1' पर मिलती है।
- थ1-द1 : रेखा बिन्दु 'थ1' से आरंभ होती है फिर उत्तर दिशा में प्लाट संख्यांक 218, 220/2, 221/2, 222, 223/1 में से गुजरती है फिर ग्राम गांधीग्राम और ग्राम भोगईखापा की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिन्दु 'द1' पर मिलती है।
- द1-ध1-न1 : रेखा बिन्दु 'द1' से आरंभ होती है फिर पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 6, 7, 8, 9, 10, 19, 18, 17, 147 में से गुजरती है और बिन्दु 'ध1' से होती हुई बिन्दु 'न1' पर मिलती है।
- न1-क1 : रेखा बिन्दु 'न1' से आरंभ होती है और राजस्व वन संख्या 103 से उत्तर-पूर्व दिशा में गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क1' पर समाप्त होती है।

[फा. सं. 43015/07/2020 – एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

New Delhi, the 10th June, 2021

S.O. 355.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 847, dated the 25th September, 2020 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, part II, section 3, sub-section (ii), dated the 26th September, 2020 the Central Government gave notice of its intention to acquire rights in and over the lands measuring 654.618 hectares (approximately) or 1617.56 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting to the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the lands measuring 654.618 hectares (approximately) or 1617.56 acres (approximately) and rights in and over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957) the Central Government hereby declares that

rights in and over the land measuring 654.618 hectares (approximately) or 1617.56 acres (approximately) as described in the Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number C- I(E)/III/FFR/0221/968, dated the 13th February, 2021 of the area covered by this notification, may be inspected in the office of the Collector, District Betul, Madhya Pradesh or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 or in the office of the Head of Department/Chief Manager, Western Coalfields Limited, Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001, Maharashtra.

SCHEDULE

Gandhigram Underground Mine
Pathakhara Area
District Betul (Madhya Pradesh)

[Plan bearing number C- I(E)/III/FFR/0221/968, dated the 13th February, 2021)

Part I									
Mining Rights :									
Sl. No	Name of Village	PC / Compartment No.	Tahsil	District	Area (in hectares)				Remarks
					Tenancy	Govt.	Forest	Total	
1.	Gandhigram	5	Ghoradongri	Betul	53.253	3.517	204.348	261.118	Part
2.	Reserved Forest	324, 325, 330	Ghoradongri	Betul	0.00	0.00	367.946	367.946	Part
Total :					53.253	3.517	572.294	629.064	
Part – I (Mining Rights) – 629.064 hectares (approximately) or 1554.42 acres (approximately)									
Part II									
All Rights :									
Sl. No	Name of Village	PC / Compartment No.	Tahsil	District	Area (in hectares)				Remarks
					Tenancy	Govt.	Forest	Total	
1.	Gandhigram	5	Ghoradongri	Betul	9.733	0.138	7.857	17.728	Part
2.	Bhogaikhapa	6	Ghoradongri	Betul	5.607	0.144	0.00	5.751	Part
3.	Reserved Forest	328	Ghoradongri	Betul	0.00	0.00	2.075	2.075	Part
Total :					15.34	0.282	9.932	25.554	
Part – II (All Rights) – 25.554 hectares (approximately) or 63.14 acres (approximately)									

Grand Total (Part-I + Part-II): 629.064 hectares + 25.554 hectares = 654.618 hectares (approximately)
or 1554.42 acres + 63.14 acres = 1617.56 acres (approximately)

Part I

(1) Plot numbers to be acquired in village Gandhigram:

25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145 (Part).

Government Land :

31, 41, 43, 52, 57, 61, 62, 68, 72, 78, 84, 94, 134.

Forest Land :

3 (Part), 24 (Part), 26, 29, 42, 74, 75, 89, 91, 92, 97, 103 (Part), 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 139, 146 (Part).

(2) Reserve Forest Land :

Compartment No. 324 (Part), Compartment No. 325 (Part), Compartment No. 330 (Part).

Part II**(1) Plot numbers to be acquired in village Gandhigram :**

7 (Part), 9 (Part), 17 (Part), 19 (Part), 148 (Part), 149, 150, 152, 155, 156.

Government Land :

154 (Part).

Forest Land :

6 (Part), 8 (Part), 10 (Part), 18 (Part), 20 (Part), 103 (Part), 147 (Part), 151 (Part), 153 (Part), 157, 158.

(2) Plot numbers to be acquired in village Bhogaikhapa :

213 (Part), 214 (Part), 215/2 (Part), 216 (Part), 218 (Part), 219 (Part), 220/2 (Part), 221/2 (Part), 223/1- 223/2 (Part), 244 (Part), 248 (Part).

Government Land :

217 (Part), 222 (Part), 241 (Part), 247 (Part).

(3) Reserve Forest Land:

Compartment No. 328 (Part).

Boundary Description:**(PART – I)**

- A-B-C-D-E-F : Line starts from Point 'A' on boundary of village Gandhigram and passes in north-east direction through Point 'B'-'C'-'D'-'E'-'F' on the common village boundary of village Shaktigarh and Gandhigram and meets at Point 'F'.
- F – G – H – I – J : Line starts from Point 'F' passes along the Compartment number 324 passes in west direction then in north-east direction through Points 'G'-'H'-'I' and meets at Point 'J' in Compartment number 324.
- J – K – L : Line starts from Point 'J' in Forest Compartment number 324, passes in north-east direction through Point 'K', then passes in south-west direction and meets at Point 'L'.
- L – M – N : Line starts from Point 'L', passes in north-east direction through Point 'M' and meets at Point 'N' in Compartment number 325.
- N – O – P : Line starts from Point 'N' in Compartment number 325, passes in south-west direction through Point 'O', and meets at Point 'P' in Compartment number 330.
- P – Q – R : Line starts from Point 'P', passes in south-east direction through Point 'Q' and meets at Point 'R' in Compartment number 325.

- R – S – T – U : Line starts from Point ‘R’, passes in south-west direction through Point ‘S - T’ and meets at Point ‘U’.
- U – V – W – X : Line starts from Point ‘U’, passes in south-west direction through Point ‘V–W’ and meets at Point ‘X’ on boundary of village Gandhigram and boundary of Compartment number 330.
- X – Y – Z – A : Line starts from Point ‘X’, passes in south-west direction through Point ‘Y’ then passes in west direction through Point ‘Y-Z’ in village Gandhigram and ends of Point ‘A’ on the boundary of village Gandhigram.

Boundary Description:**(PART – II)**

- A1-B1-C1 : Line starts from Point ‘A1’, in village Gandhigram passes along the mine boundary of Gandhigram Underground Mine in north-east direction, then passes through Point ‘B1’ and meets at Point ‘C1’.
- C1 –D1-E1 : Line starts from point ‘C1’ passes in east direction through Point ‘D1’, then passes in south direction and meets at Point ‘E1’.
- E1 –F1-G1 : Line starts from Point ‘E1’, passes in west direction then turns in south-west direction passes through Point ‘F1’ and meets at Point ‘G1’.
- G1 –H1-I1-J1 : Line starts from Point ‘G1’, passes in south-west direction through Points ‘H1’ then passes along the south boundary of Plot numbers 155, 156, 157 then passes through Point ‘I1’ then passes in north direction along the outer boundary of Plot numbers 157, 158 then passes through Plot number 149 and meets at Point ‘J1’.
- J1 –K1 : Line starts from Point ‘J1’, passes in west direction along the outer boundary of Plot numbers 148, 147, 17, 18, 19, 10, 9, 8, 7 and meets at Point ‘K1’ near Plot number 6 on common village boundary of village Bhogaikhapa and village Gandhigram.
- K1–L1-M1 : Line starts from Point ‘K1’, passes in south direction through village Bhogaikhapa through Plot numbers 223/1, 221/2, 220/2, 219, 218, 215/2, 214, 244, 248 then passes through Point ‘L1’ crosses the boundary of village Bhogaikhapa and meets at Point ‘M1’ near Tawa Bridge in Forest Compartment number 328.
- M1 –N1- O1: Line starts from Point ‘M1’, crosses the Tawa bridge, passes through Point ‘N1’, then passes in south-west direction and meets at Point ‘O1’.
- O1–P1- Q1 : Line starts from Point ‘O1’, passes in north-east direction, crosses the Tawa bridge, passes through Point ‘P1’ then passes through Plot numbers 248, 247, 244, 213, 214, 215/2, 216 and meets at Point ‘Q1’ in village Bhogaikhapa.
- Q1 – R1 : Line starts from Point ‘Q1’, passes in north direction through Plot numbers 220/2, 221/2, 222, 223/1 and meets at Point ‘R1’ on common village boundary of village Gandhigram and village Bhogaikhapa.
- R1 – S1-T1 : Line starts from Point ‘R1’, passes in east direction through Plot numbers 6, 7, 8, 9, 10, 19, 18, 17, 147, then passes through Point ‘S1’ and meets at Point ‘T1’.
- T1 – A1 : Line started from Point ‘T1’, passes in north-east direction from Revenue Forest number 103, ends at starting Point ‘A1’.

[F. No. 43015/07/2020- LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.